कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या– 341 / ग्यारह–ई.आई.बी. / आई.जी.आर.एस. / मिर्जापुर प्रभार / 2025–26

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन,
आबकारी विभाग,
बापू भवन, लखनऊ।

दिनांक:प्रयागराज:सितम्बर 24,2025

विषय:–जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्राप्त सन्दर्भ संख्या 60000250216676 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्राप्त सन्दर्भ संख्या 60000250216676 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्रीमती अभिराजी निषाद, निवासी ग्राम–नौगॉव, पोस्ट–नदिनी, थाना विन्ध्याचल, जनपद मिर्जापुर द्वारा नौगॉव में अवैध शराब की बिक्री किंये जाने की शिकायत की गयी है।

उक्त शिकायत की जॉच उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर प्रभार, मिर्जापुरी से करायी गयी। उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर प्रभार, मिर्जापुर ने अपने पत्र संख्या–569 / दिनांक 19.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत की जांच सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन–1, मिर्जापुर से करायी गयी। सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन–1, मिर्जापुर प्रभार ने अपने जॉच आख्या से अवगत कराया है कि शिकायत की जॉच आबकारी निरीक्षक, प्रवर्तन–1, मिर्जापुर प्रभार से करायी गयी। आबकारी निरीक्षक, प्रवर्तन–1, मिर्जापुर प्रभार द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती अभिराजी निषाद के मोबाइल नम्बर 7518494920 पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु बात पूरी नही हो सकी। शिकायत को सज्ञान में लेकर दिनांक 19.09.2025 को आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन–2 श्री अजय कुमार गौड़ व आबकारी निरीक्षक, प्रवर्तन–1, श्रीमती पूरन श्रीवास्तव व स्टाफ को साथ लेकर नौगांव में पहुँचकर शिकायतकर्ता श्रीमती अभिराजी निषाद से मौके पर आकर सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा मौके पर बताय गया कि गॉव में कुछ लोग अवैध शराब की बिक्री करते है और शराब पीने के बाद शिकायतकर्ता के घर के पास गाली गलौज करते है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि गॉव में रहने वाले श्री चरनदास पुत्र श्री गुलाब, श्री प्रमोद पासी पुत्र श्री जगन्नाथ सरोज, श्री कल्लू मल्लाह पुत्र श्री बैजनाथ व श्री जादू पासी पुत्र श्री सग्गल के घरो में आकस्मिक रूप से छापेमारी की गयी। छापेमारी / दबिश के दौरान उपरोक्त घरों से अवैध शराब से सम्बन्धित कोई भी अवैध सामग्री की बरामदगी नही हो सकी। मौके पर ही नो रिकवरी मेमो तैयार किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया। शिकायतकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य है। शिकायतकर्ता कृत कार्यवाही से अपने द्वारा दिये गये बयान से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया गया कि इस तरह की कोई सूचना मिले तो अवगत कराये, ताकि कार्यवाही की जा सके।

उप आबकारी आयुक्त, मिर्जापुर प्रभार, मिर्जापुर द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन–1, मिर्जापुर प्रभार / आबकारी निरीक्षक, प्रवर्तन–1, मिर्जापुर प्रभार द्वारा प्रेषित आख्या से सहमत होते हुए उक्त शिकायती प्रकरण को क्षेपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आई0जी0आर0एस0 प्रणाली सन्दर्भ संख्या 60000250216676 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत को निस्तारित करते हुए लम्बित सन्दर्भ से पृथक करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सेहारा)
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)
उत्तर प्रदेश।

Digitally signed by
NAVNEET SEHARA
Date: 24-09-2025
14:36:24